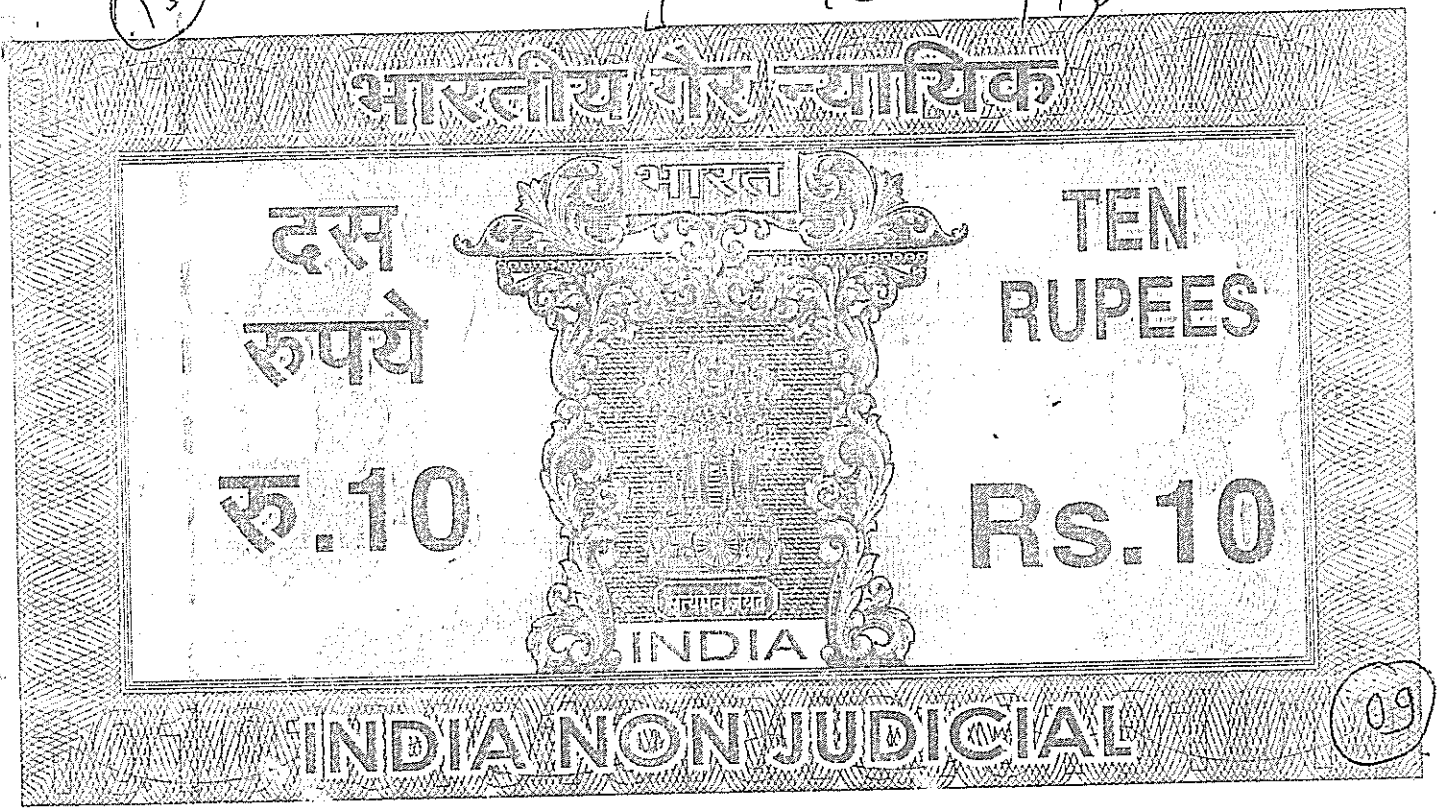


(13)

9652/15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CERTIFICATE

73AC 552915

18527

In this pursuance of the order of the collector No. 10 dated 06-04-2015 passed under Section 10-A of Stamp Act it is certified that an amount of Rs. 35,44,000/- (Rupees Thirty Five Lakh Forty Four Thousands Only) has been paid by **ANS Developers Private Limited** in Cash as Stamp duty in respect of this instrument in State Bank of India, Lucknow by Challan No. - G120038, Dated - 02/05/2015, A copy of which annexed here with.

Dated: 06-05-2015

Chief Treasury Officer

Lucknow

06/05/2015

मुख्य कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

#

L. B. Sin



विवरण

: रोकड़ (विवरण सहित)
नोट/सिक्के

(धनराशि रूपयों में)

1000 x

500 x

100 x

50 x

20 x

10 x

5 x

2 x

1 x

चेक (पूर्ण विवरण के साथ)

योग :

Bank - Syndicate Bank
Branch - M. C. B., Lucknow
Cheque No. - 468759
Amount - Rs. 35,44,000/-

Rs. 35,44,000/-

टिप्पणी :-

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालान द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक संवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे को कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 3 कोषागार-10.2.2003(2238)-2003-3,00,000-(कम्प्यूटर/आफसेट)

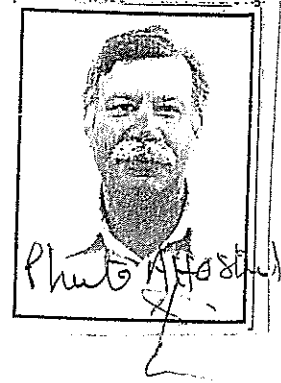
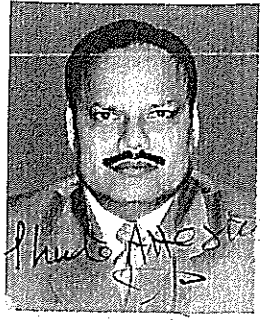
35,44,000/-
Thirty five Lacs Forty Four Thousand only
G 120038

02/05/15

Ans developed prd: Lto

02/05/15

A L Singh



नजराना —रु0 8,81,07,200 /—

वार्षिक किराया —रु0 81,473 /—

स्टाम्प —रु0 35,44,000 /—

परगना — लखनऊ

पट्टा-विलेख

यह पट्टा सन् 2015 के जून माह के 24^{थे} दिन, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (जिनको यहां आगे चलकर "पट्टादाता" कहा गया है) प्रथम पक्ष।

तथा

मेसर्स ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0 लि0, जो कम्पनी एक्ट, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है, एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय : 308 तुलसियानी चैम्बर्स नरीमन प्वाइण्ट मुम्बई-400021 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरी—श्री अनवर रिजवीं पुत्र एम0 ए0 रिजवीं (जिनको यहां आगे चलकर "पट्टेदार" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

2— चूंकि पट्टेदार एक आवास निर्माण कम्पनी है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, सम्प्रदाय आदि का भेद-भाव किये बिना सभी के लिये आवास

4

L L B. S.



निर्माण कर विक्रय किये जाने का है, जिसके निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना है।

और चूंकि इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति विषयक शासनादेश संख्या-2711/आ-1-05-34 विविध/03, दिनांक 21/05/2005 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास हेतु नीति (जिसे एतदपश्चात् उक्त नीति कहा गया है) निर्गत की गयी है।

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसरण में इस विलेख की अनुसूची में वर्णित ग्राम-बाघामऊ, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ में स्थित 10.638 (दस दशमलव छः सौ अड़तीस) हेक्टेयर ग्राम-समाज की भूमि को, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1201/एक-1-2013-5(52)/2013, लखनऊ, दिनांक 11, अक्टूबर, 2013 के अधीन उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1951) की धारा-117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, पुर्नग्रहीत कर लिया गया है और जो सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गयी है।

अतः शासनादेश संख्या-474/एक-1-2018-5-1(48)/2008-78, दिनांक 19.12.2008 द्वारा पट्टेदार के नाम के आगे अभिव्यक्त अधिकारों, निर्बन्धनों एवं विभिन्न प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के अधीन उक्त नीति के अनुसार टाउनशिप के विकास के प्रयोजन (जिसे एतदपश्चात् "निर्धारित प्रयोजन" कहा गया है) से पट्टेदार को हस्तान्तरित करने के लिये पट्टादाता सहमत हुये है।

- 3- अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित गवर्नमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 (सन् 1895 ई० का एक्ट संख्या-15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि नजराना रू० 8,81,07,200.00/- (रूपया आठ करोड इक्कयासी लाख सात हजार दो सौ) मात्र व मालगुजारी का 150 गुना रू० 81,473.00/-



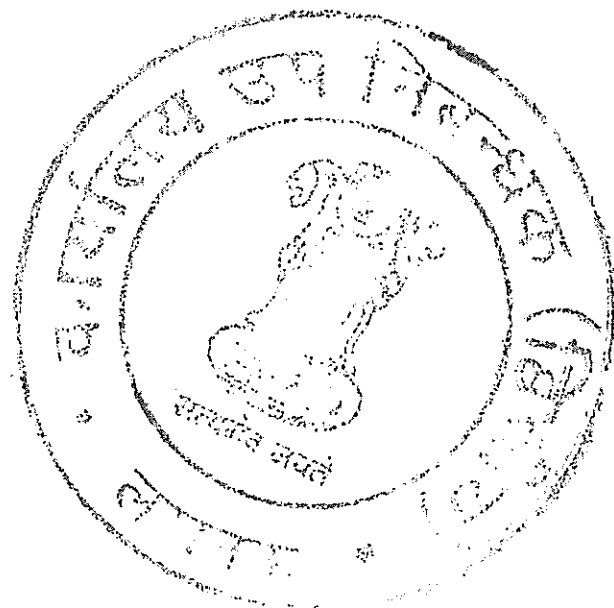




3. यह कि पट्टेदार को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने पर वह उसे शासन/प्राधिकरण को वापस कर देगा।
4. यह कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ले लिये जाने अथवा पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे राज्य सरकार को समर्पित किये जाने की स्थिति में पट्टेदार को उक्त भूमि पर निर्मित किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
5. यह कि पट्टेदार को पट्टे की भूमि बिना कब्जे के राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु उनके पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा। शर्त यह होगी कि पट्टेदार द्वारा शासन को बाजार दर पर पट्टे की भूमि का मूल्य अदा कर दिया गया है।
6. यह कि उक्त भूमि का उपयोग 03 (तीन) वर्ष में निर्धारित प्रयोजन हेतु न किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रश्नगत भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए पट्टे पर दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण पंजीकृत विलेख द्वारा किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।
8. यह कि पट्टेदार ने वार्षिक किराया रू0 81,473/- (रूपया इक्क्यासी हजार चार सौ तिहत्तर) मात्र की दर से रू0 81,473/- की धनराशि पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व अर्थात् दिनांक 22.07.14 व 01.10.2014 को चालान संख्या जी 70013 एवं जी 040066 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, राजकीय व्यावसायिक शाखा, लखनऊ में जमा कर दिया है और पट्टेदार

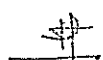
॥

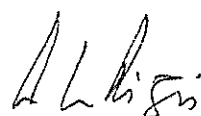
॥ ॥

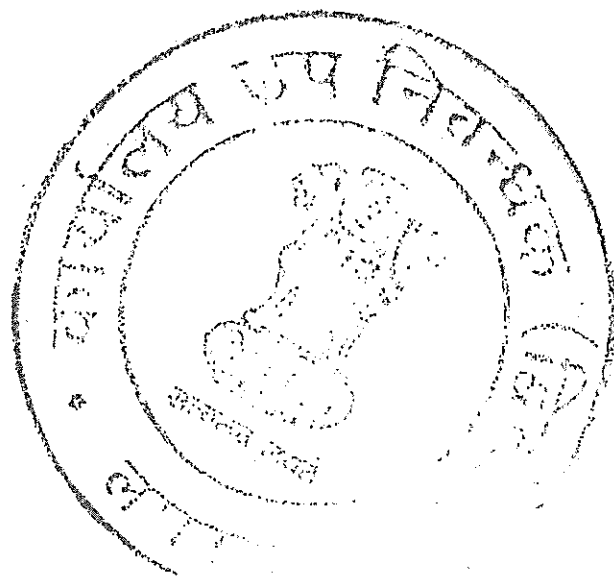


पट्टा के दौरान प्रतिवर्ष माह जून के प्रथम सप्ताह में या पहले वार्षिक किराया जमा करता रहेगा।

9. यह कि पट्टेदार उक्त वार्षिक किराया अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष जमा करेगा।
10. यह कि पट्टेदार द्वारा वार्षिक किराया समय से न जमा करने अथवा उपरिवर्णित शर्तों में किसी को भंग किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त भूमि का कब्जा राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा ले लिया जायेगा तथा पट्टेदार द्वारा किसी प्रतिकर की मांग नहीं की जायेगी।
11. यह कि पट्टेदार ऐसी प्रत्येक प्रकार की दरों, करों, परिव्ययों तथा निर्धारणों का भुगतान करेगा जो उक्त भूमि या उस पर निर्मित या निर्माण किये जाने वाले भवन अथवा उसके स्वामी या किरायेदार पर उस समय अथवा उसके पश्चात किसी समय अवधारित, भारित, आरोपित किये जायें।
12. यह कि पट्टादाता की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों को पट्टेदार द्वारा काटा नहीं जायेगा और न दूसरे को काटने दिया जायेगा।
13. यह कि उक्त भूमि विधि के प्रवर्तनवश या किसी अन्य कारण से यहाँ दी गयी अवधि में हस्तांतरित हो, पट्टेदार उक्त हस्तांतरण के दिनांक से एक पंचांग मास के भीतर उक्त हस्तांतरण की सूचना जिलाधिकारी, लखनऊ को देगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक अभिहस्तांकन के पक्षों के नाम और पूरे ब्यौरे होंगे तथा उसका पूरा विवरण और उससे प्रभावित होने वाली सम्पत्ति का विवरण होगा और साथ में प्रत्येक अभिहस्तांकन पत्र, डिक्री या आदेश, प्रमाण-पत्र या अन्य लेख जिसका प्रभाव उस हस्तांतरण पर पड़ता हो, देगा और उस सूचना के साथ उक्त लेख्य जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में कम से कम 07(सात) दिन रहेंगे तथा एतद्वारा यह प्रसंविदा की जाती है कि इस शर्त का पालन न किये जाने पर पट्टेदार पर दण्डस्वरूप रुपये, जैसा कि तत्कालीन समय पर सक्षम





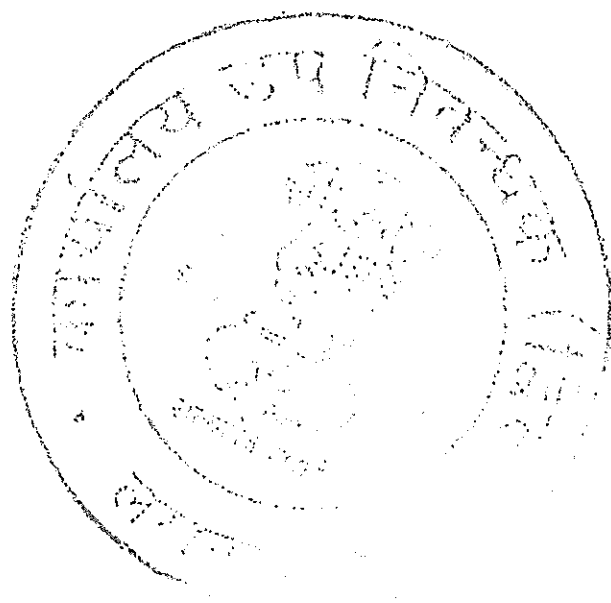


अधिकारी/पट्टादाता की ओर से नियत किया जावे मात्र का भुगतान करने का दायित्व होगा।

14. यह कि इस विलेख की अवधि समाप्त होने अथवा उसके पहले ही समाप्त कर दिये जाने पर पट्टेदार उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि को पट्टादाता को बिलकुल सही अवस्था में दे देगा।
15. पट्टा निष्पादन का व्यय भार संस्था/पट्टेदार द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा संस्था को प्रदान किया जायेगा।
16. प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार होगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध है कि यह विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर और जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात एक माह तक भुगतान न होगा, चाहे वह विधितः मांगा गया हो या न मांगा गया हो अथवा यदि पट्टे में वर्णित प्रसंविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा तब और ऐसी किसी दशा में पट्टादाता ने भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के अधिकार को छोड़ दिया हो, उक्त भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अध्यासियों को वहां से निकाल सकता है और तब यह हस्तान्तरण बिलकुल निरस्त हो जायेगा तथा उक्त भूमि पर निर्मित भवनों को हटाने अथवा उसके संबंध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अपहृत हो जायेंगे।





यह भी प्रतिबन्ध है कि ऊपर जो कुछ अंकित है उसके अतिरिक्त पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह उस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाण-पत्र पर जो अन्तिम, निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि हस्तांतरित उक्त भूमि की पट्टादाता को किसी भी समय अपने कार्य के लिए आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि वह पट्टेदार को उक्त भूमि पर उस समय खड़े किसी भवन को हटाने की एक माह की नोटिस दे और यह भी कि उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो माह के भीतर उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले, किन्तु शर्त यह है कि यदि पट्टादाता उक्त भूमि पर पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी भवन को क्रय करना चाहे तो पट्टेदार को उस भवन के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा, जो राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

और पट्टादाता पट्टेदार से यह प्रसंविदा करता है कि यदि पट्टेदार ने इस विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर और उसके व्यय से इस पट्टे की उक्त अवधि के समाप्त होने पर और उसके पश्चात समय-समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाये, पट्टेदार के नाम उक्त भूमि का नया पट्टा नवीनीकरण के रूप में 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिये निष्पादित करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध सदा ही रहेगा कि इस प्रकार नवीकृत अवधियां इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर 90 (नब्बे) वर्ष से अधिक न होगी और पट्टादाता कोई ऐसा नवीनीकरण स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह ऐसी किराये की दर



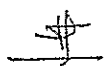


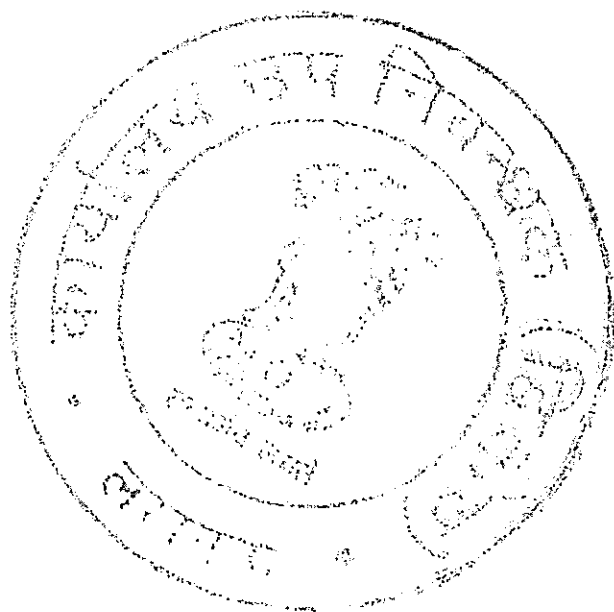
पर हो जो उक्त भूमि के संबंध में उस समय दिया जा रहा है अथवा यदि वह पसन्द करे तो ऐसी बढ़ाई हुई दर पर हो जो उस किराये के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक न हो जो कि नवीनीकरण के ठीक पहले देय था और सिवाय उस किराये की धनराशि जो तदनुसार निर्धारित की जाये और उस अवधि के जो स्वीकार की जाये, उक्त भूमि के प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इस विलेख की केवल उन्हीं प्रसविदाओं, उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों को समावेश होगा जो उस समय लागू होंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसे सब कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो हस्तांतरित उक्त भूमि के संबंध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय हैं अथवा भविष्य में देय होगा।

और इस विलेख के दोनों पक्ष अग्रेतर करार करते हैं कि : —

- (क) उक्त भूमि को पट्टे पर देने हेतु पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
- (ख) उक्त भूमि के हस्तांतरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (ग) उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।
- (घ) पट्टा निष्पादन के पश्चात् भूमि का कब्जा पट्टेदार को प्रदान किया जायेगा।





4- भूमि का विवरण निम्नवत है:-

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०)	विवरण / प्रयोजन
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	बाघामऊ			आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के उपयोगार्थ
				70	0.100	
				74	0.036	
				88	0.013	
				89	0.152	
				94	0.341	
				96	0.107	
				99	0.809	
				130 पी	0.052	
				142	0.405	
				145	0.114	
				160	0.029	
				165	0.021	
				170	0.021	
				177	0.035	
				178	0.093	
				181	0.107	
				183	0.089	
				229	0.169	
				246	0.026	
				249	0.022	
				250	0.052	
				260	0.095	
				271	0.062	
				308	0.177	
				328	0.052	
				334	0.048	
				345	0.044	
				540 पी	0.060	
				560 पी	0.065	
				632	0.250	
				633	0.044	



			644 पी	0.023	
			731	0.061	
			737	0.025	
			763	0.125	
			777	0.112	
			778	0.041	
			797 पी	0.060	
			67 पी	0.126	
			82	0.319	
			148	0.063	
			437	0.038	
			441 जी	0.152	
			678	0.089	
			90 ख	0.063	
			90 ग	0.013	
			132 घ	0.607	
			138 ग	0.310	
			140 द	0.711	
			140 ध	0.177	
			140 न	0.082	
			141 ग	0.101	
			143 ख	0.170	
			150 घ	0.670	
			150 ड	0.569	
			182	0.025	
			222 प, ख	0.043	
			234	0.152	
			235	0.025	
			242	0.145	
			243	0.063	
			255	0.025	
			256 ख	0.031	
			259	0.051	
			261	0.190	
			306	0.379	
			310	0.177	
			312	0.234	
			320	0.031	

॥

DL Sign

88.107.200.00 पट्टा विलेख (30 वर्ष) 10,000.00 40 10,040.00 2,000

प्रतिफल मालियत आमत वार्षिक किंगया फॉर्म रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग
श्री मेसर्स ए.एन.एस.डेवलपर्स प्रा.लि.द्वा.अधि.हस्ता.अनवर रिजवी
पुत्र श्री एम.ए.रिजवी
पेशा नौकरी

निवासी 308 तुलसियानी चैम्बर्स नरीमन प्वाइण्ट मुम्बई

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/6/2015 समय 1:43PM

वगे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव
उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

24/6/2015

निष्पादन लेखपत्र बाद मुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनगशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

पट्टा गृहीता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वा.शीष चन्द्र वर्मा सचिव ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री मेसर्स ए.एन.एस.डेवलपर्स प्रा.लि.द्वा.अधि.हस्ता.अनवर रिजवी
पुत्र श्री एम.ए.रिजवी
पेशा नौकरी
निवासी 308 तुलसियानी चैम्बर्स नरीमन प्वाइण्ट मुम्बई

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री शत्रोहन लाल एड.कले.कोर्ट, लखनऊ

पेशा नौकरी

निवासी

व श्री डा.जितेन्द्र कटियार तहसीलदार ल.वि.प्रा.लखनऊ

पुत्र श्री आर.एस.कटियार

पेशा नौकरी

निवासी 3/259, विनम स्वण्ड गोमती नगर, लखनऊ

ने श्री।

पञ्चलनर पद माधियों के निजान अगुटे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव
उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

24/6/2015

श्रीसारा

सुभाष

सुभाषचन्द्र

—New Testament Books
—Frosted Bread Knead

$$2\pi \rho \frac{d^2 u}{dt^2} = \frac{d^2 u}{dt^2} \left(\frac{d^2 u}{dt^2} \right)$$

अथर्ववेद-विश्वकोश

संस्कृत-संज्ञा-सूची

2509270000

अनुद्वन्द्वम् । मूलानुवृत्तिम् ।

१६५५ = १६५५
 १६५५ = १६५५

मलेशिया

५०-५१
नाम-वाचानज
 पञ्चमा न गलील अमृतज
जिला-खरनज
 खरनज नम १८६१-६२ ई.
 पञ्चमा १२५० पञ्चमा
 पञ्चमा-५०-५१-५२

[illegible]

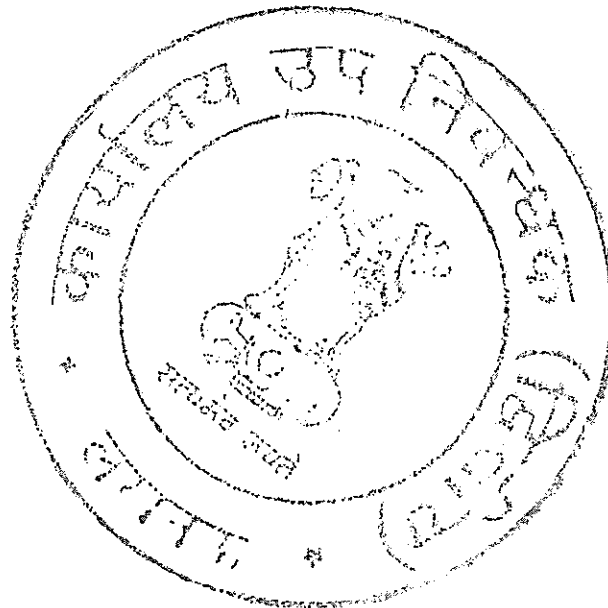
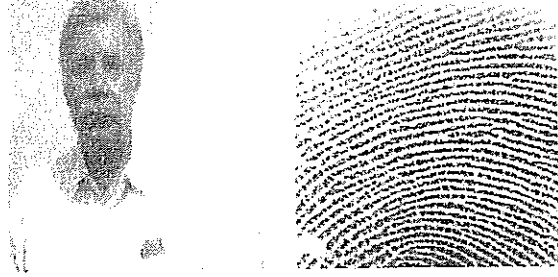
पट्टा गृहीता

Registration No. : 9652

Year : 2,015

Book No. : 1

0201 मेसर्स ए.एन.एस.डेवलपर्स प्रा.लि.द्वा.अधि.हस्ता.अनवर रिजवी
एम.ए.रिजवी
308 तुलसियानी चैम्बर्स नरीमन प्वाइण्ट मुम्बई
नोकरी



साक्षीगण :

नाम..... / Shatrahul Lal Advocate
पिता का नाम.....
पता..... Calicut rate court
..... LUCKNOW

()

पट्टाकर्ता की ओर से एवं
उसके उसके द्वारा अधिकत

नाम.....
पिता का नाम.....
पता.....
.....

(.....)

पट्टेदार की ओर से एवं
उसके उसके द्वारा अधिकृत

आज दिनांक 24/06/2015 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 16966

पृष्ठ सं. 379 से 408 पर क्रमांक 9652

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



दिनेश चन्द्र यादव

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

24/6/2015

